	पत्रावली में स्वामीय बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 04.03.22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा
04.03.2022	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित आदेश नहीं सुनाया जा सका पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 07.03.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा
07.03.22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 09.03.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा
9.3.22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रा०पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि ग्राम अमोलक नगर तह० महवा स्थित भूमि खस०नं० 1071/1 रकबा 0.27, 1072/3 रकबा 0.05, 1125/1 रकबा 1.06, 270/1 रकबा 0.32 कुल किता 4 रकबा 1.70 हैक्टेयर सायल व गैर सायल नं० 1 लगायत 3 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें सायल कुश 3/7 भाग व सायल महेश 3/7 भाग के खातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्सा अन्य खातेदारों का है। सभी खातेदारान ने मन वट के आधार पर बाहमी बँटवारा कर रखा है। बाहमी बँटवारे के अनुसार सायलान खस०नं० 1125/1 रकबा 1.06 एवं ख०नं० 1071/1 रकबा 0.27 हैक्टेयर पर काबिज हैं जिससे गैर सायलान का कोई सम्बन्ध नहीं है सायलान ने मेहनत करके अपनी भूमि को उपजाऊ

उपखण्ड अधिकारी महवा जिला-दौसा (राज०)

उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उप...

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

बनाम

मु. सं.

हुक्म या कार्यवाही	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
से कानूनी बँटवारा करवाने बनाया है। गैर सायलान से कहा गया तो उन्होंने इन्कार के लिए सायल द्वारा कहा गया तो उन्होंने इन्कार कर दिया। इसलिए सायलान द्वारा विधिवत विभाजन का वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया है तथा गैरसायलान को वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रा०पत्र दर्ज रजि० कर गैर सायलान को नोटिस जारी किये गये लेकिन बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील सायलान की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सायलान राजस्व रिकार्ड अनुसार खातेदार है तथा विभाजन करवाने का अधिकारी है प्रथम दृष्टया मामला सायलान के पक्ष में प्रतीत होता है। इसलिये गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं। ...	
अतः गैरसायलान को वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम अमोलकनगर तहसील महवा स्थित अराजी खसरा नम्बर 1071/1, 1072/3, 1125/1, 270/1 कुल किता 4 रकबा 1.70 हैक्टेयर भूमि में सायलान के हिस्से में किसी प्रकार की मजाहमत - मदाखलत न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावे, रहन-बय नहीं करे। राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली कैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर शामिल मूल वाद रहे।	
(हस्ताक्षर) उपखंड अधिकारी महवा जिला-दौसा (राज०)	